**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1504**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति**

**1504. श्री अनिल देसाईः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहां पर सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है;**

**(ख) अनुच्छेद 370 के निराकरण के पश्चात कश्मीर में वर्ष 2018 और 2019 में दर्ज़ किए गए पत्थरबाज़ी और आतंकवादी हमलों का ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) क्या भारत के संविधन के अंतर्गत सिविल दांडिक और अन्य कानूनों के संबंध में कश्मीर और अन्य सभी राज्यों के बीच में कोई अंतर है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी़ किशन रेड्डी)**

(क): दिनांक 05 अगस्त, 2019 से कश्मीर में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2018 और 2019 (दिनांक 5 अगस्त से 31.12.2019 तक) के दौरान दर्ज किए गए मामलों से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **दर्ज किए गए मामले** | **2018** | **2019 (दिनांक 5 अगस्त से 31.12.2019 तक)** |
| पत्थरबाजी की घटनाओं के संबंध में | 802 | 195 |
| आतंकवादियों से जुड़ी हुई घटनाओं के संबंध में | 409 | 48 |

**-2-**

**रा.स.अ.प्र.सं. 1504**

(ग): दिनांक 06.08.2019 के संविधान आदेश (सी.ओ.) 273 के द्वारा भारत के संविधान के समय-समय पर यथा संशोधित सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर में लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के द्वारा उन सभी केंद्रीय अधिनियमों को भी जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, जो पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले लागू नहीं थे।

\*\*\*\*\*\*\*

**-3-**

**अनुलग्नक**

**रा.स.अ.ता.प्र.सं. 1504, दिनांक 04.03.2020**

**दिनांक 05 अगस्त, 2019 से कश्मीर में कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति**

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत लागू प्रारंभिक प्रतिबंध कश्मीर घाटी के सभी क्षेत्रों से हटा दिए गए हैं। अब तक, कानून और व्यवस्था की किसी भी प्रकार की बड़ी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
2. होटल और रेस्टोरेंट सहित दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं।
3. सार्वजनिक यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। रेल सेवाएं भी नियमित रूप से चल रही हैं।
4. शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें कर्मचारियों और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थित रहती है। प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग सेंटर भी चल रहे हैं।
5. प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्च माध्यमिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं और उनमें उपस्थिति 98% से अधिक रही है। व्यावसायिक कॉलेजों, संयुक्त रक्षा सेवा (सीडीएस)/सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) की परीक्षाएं और विश्वविद्यालय की डिग्री/स्नातकोत्तर परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय ने दिनांक 03.02.2020 से कार्य करना शुरू कर दिया है।
6. तृतीय देखभाल (टर्शरी केयर) अस्पतालों अर्थात एसकेआईएमएस सौरा/मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाएं पूर्णरूप से कार्यरत हैं। दवा की दुकानें खुली हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं।

\*\*\*\*\*\*\*